<u>प्रेस नोट, दिनांक – 30.03.2025</u>

प्रेस नोट दिनाँक 30-03-2025

- **थाना सिविल लाइन पर पंजीकृत अभियोग की अपहृता का शव बरामद**
- **हत्या करने वाले 03 अभि0गण को किया गया गिरफ्तार**
- **हत्यारोपियों द्वारा जुर्म का किया गया इकबाल**

***संक्षिप्त विवरण*-**

वादी श्री नूर हसन पुत्र श्री जलालुद्दीन निवासी ग्राम हासिमपुर थाना दातागंज जनपद बदायूं के द्वारा अपनी भान्जी मुस्कान पुत्री साबिर निवासी हासिमपुर थाना दातागंज बदायूं के दिनाँक 19-02-2025 को अपरहण होने के सम्बन्ध में दिनाँक 28-02-2025 को थाना सिविल लाइंस पर मु0अ0स0 99/25 धारा 140 BNS बनाम रिजवान पुत्र जान मोहम्मद निवासी अलापुर भौगी थाना उझानी जनपद बदायूं पंजीकृत कराया था। इस अभियोग की विवेचना प्रभारी चौकी रोडवेज उ0नि0 राहुल कुमार के सुपुर्द की गयी थी । तत्पश्चात विवेचना उ0नि0 चमन गिरि के सुपुर्द की गयी । दौराने विवेचना नामजद अभियुक्त रिजवान व प्रकाश में आये 02 अभियुक्तगण 1- रामौतार पुत्र जानकी प्रसाद निवासी नरऊ थाना उझानी बदायूँ व 2- राधेश्याम उर्फ हलवाई पुत्र होरीलाल निवासी नरऊ थाना उझानी बदायूँ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की निशादेही पर आज दिनांक 30.03.2025 को अपहृता / गुमशुदा मुस्कान का शव ग्राम नरऊ थाना उझानी के जंगल में खेत के किनारे से मिट्टी में दबा हुआ बरामद किया गया । शव बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 103(1)/238/3(5) BNS की वृद्धि कर इस अभियोग की विवेचना प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइन द्वारा ग्रहण कर प्रारम्भ की गयी ।

***पूछताछ का विवरण*-**

अभि0गण उपरोक्त की गिरफ्तारी के पश्चात पूछताछ पर अभियुक्त रिजवान ने बताया कि मेरी मुलाकात 04 वर्ष पहले मुस्कान से हुई थी और हम दोनों के बीच नजदीकिया बढ़ गई,मैं मुस्कान से प्यार करने लगा । मुस्कान के माता-पिता का कई वर्ष पहले इन्तकाल हो गया था । मुस्कान के कोई वारिश नहीं था इसके पश्चात मुस्कान के भी एक लड़का हो गया मुस्कान मुझ पर अपने साथ रहने का दबाव बनाने लगी । मैंने मुस्कान को प्रत्येक महीने दस हजार रुपये देना शुरु किया लेकिन वह इससे भी खुश नहीं थी तथा हर महीने चालीस हजार रुपये मांगने लगी और मुझे प्रताड़ित करने लगी । मैंने यह बात अपने मित्र रामौतार उपरोक्त को बताई । फिर रामौतार उपरोक्त अपने साथी राधेश्याम पुत्र होरीलाल के साथ आया तथा सलाह मसवरा किया और हम तीनों ने योजना बनाई तथा दोनों को सत्तर-सत्तर हजार रु देकर वारदात को अंजाम देने हेतु तैयार कर लिया । मैं दिनाँक 19-02-2025 को शाम के समय मैंने अपनी स्कूटी से गालम पट्टी आया मुस्कान से बात की और उसे अपनी स्कूटी पर बैठाकर ग्राम नरऊ के जंगल में एक खेत पर ले आया जहाँ रामौतार व राधेश्याम उपरोक्त पहले से ही तैयार खड़े थे । हम तीनों ने मिलकर मुस्कान का उसके दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दीं थी तथा शव मिट्टी में दबा दिया था। हम तीनों ने मिलकर योजना बनाकर मुस्कान की हत्या की है।

***गिरफ्तार किये गये अभि0 का नाम व पता* –**

1.. रिजवान पुत्र जान मोहम्मद निवासी अलापुर भौगी थाना उझानी जनपद बदायूं उम्र 35 वर्ष

2. रामौतार पुत्र जानकी प्रसाद निवासी नरऊ थाना उझानी बदायूं उम्र 56 वर्ष

3. राधेश्याम उर्फ हलवाई पुत्र होरीलाल निवासी नरऊ थाना उझानी बदायूं उम्र 57 वर्ष

***रिजवान पुत्र जान मोहम्मद का अपराधिक इतिहास*-**

मु0अ0सं0- 158/21 धारा 171 डी भादवि थाना उझानी बदायूँ

मु0अ0सं0 158/22 धारा 147/148/323/336/506 भादवि थाना उझानी बदायूँ।

मु0अ0सं0 812/2022 धारा 148/308/323/504/506 भादवि

गिरफ्तारी का स्थान व दिनाँक

ग्राम मीरासराय ज्यारत तिराहा शेखूपुर रोड थाना क्षेत्र सिविल लाईन जनपद बदायूं दिनांक 30.03.2025 समय 10.40 बजे।

बरामदगी का विवरण – निल

गिरफ्तार करने वाली थाना पुलिस टीम

1.मनोज कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक सिविल लाइन

2. निरीक्षक अपराध अवधेश कुमार थाना सिविल लाइन

3. उ0नि0 चमन गिरि थाना सिविल लाइन

4. उ0नि0 संजीव कुमार थाना सिविल लाइन

5. उ0नि0 सुमित कुमार थाना सिविल लाइन

6. हे0का0 263 विनोद शर्मा, थाना सिविल लाइन

7 हे0का0 662 रजनेश थाना सिविल लाइन

8 का0 1079 श्यामवीर थाना सिविल लाइन

9. का0 1757 अनुज कुमार थाना सिविल लाइन

10. का0 1128 नागेन्द्र थाना सिविल लाइन

सोशल मीडिया सेल

जनपद बदायूँ।